

## आदेश

श्री केवल पुत्र श्री दिलबाग, पंच, वार्ड नं०. 04, ग्राम पंचायत, हमीरगढ़, खण्ड उझाना, जिला जीन्द द्वारा पंच पद से दिया गया त्याग पत्र/शपथ पत्र दिनांक 12.02.2024 जो उपायुक्त, जीन्द के सिफारिश पत्र क्रमांक 6959/पंचायत-चुनाव दिनांक 17.09.2024 व पत्र क्रमांक 2847/पंचायत-चुनाव दिनांक 11.04.2025 सहित प्राप्त हुआ है को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

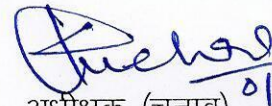
चण्डीगढ़, दिनांक  
28-04-2025

दुष्मन्ता कुमार बैहेरा, आई०ए०एस०  
महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक ई०सी०ए०२-2025 / 19515-21 दिनांक : 21/5/25

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:-

1. राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा, निर्वाचन सदन, प्लॉट नं० 2, सैक्टर-17, पंचकूला।
2. उपायुक्त, जीन्द को उनके सिफारिश पत्र क्रमांक 6959/पंचायत-चुनाव दिनांक 17.09.2024 व पत्र क्रमांक 2847/पंचायत-चुनाव दिनांक 11.04.2025 के संदर्भ में।
3. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जीन्द।
4. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, उझाना, (जिला जीन्द)।
5. संरपच, ग्राम पंचायत हमीरगढ़, खण्ड उझाना, जिला जीन्द।
6. श्री केवल पुत्र श्री दिलबाग, निवासी गांव हमीरगढ़, तहसील उझाना, जिला जीन्द।
7. आई०टी० सैल, मुख्यालय।

  
अधीक्षक (चुनाव) 01/05/2025

कृते: महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग  
हरियाणा, चण्डीगढ़।

Sh. Gaurind/ Sh. Mohit